सुप्रीम कोर्ट का 16वाँ राष्ट्रपति संदर्भ: क्या यह भारत में संघवाद का क्षरण है?

यूपीएससी प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन पेपर-2, राजव्यवस्था और शासन

खबरों में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने 16वें राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर राय दी है, जिसमें राज्यपाल (Governor) और राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या की गई है। आलोचक इसे संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला निर्णय मान रहे हैं, क्योंकि इससे निर्वाचित राज्य सरकारों की स्वायत्तता कम होती है और अनिर्वाचित प्राधिकरणों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ मिल जाती हैं। इस निर्णय ने केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बहस को फिर से सक्रिय कर दिया है।

पृष्ठभूमि

भारत का संविधान संघीय ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य समान भागीदार हैं। केंद्र "समानों में प्रथम" है, पर राज्य अपनी सूची के विषयों—जैसे भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था—में स्वायत्तता रखते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु माना जाता था, सत्ता के केंद्रीकरण के उपकरण के रूप में नहीं।

16वें राष्ट्रपति संदर्भ की पृष्ठभूमि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से जुड़ी है, जिसमें विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देने में देरी शामिल थी। सर्वोच्च न्यायालय की राय की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इसने राज्यपाल की शक्तियों की व्यापक व्याख्या की, जिससे निर्वाचित विधानमंडलों के लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने की संभावना बनी।

राय द्वारा उजागर मुख्य मुद्दे

1. राज्यपालों की असंगत शक्तियाँ

- राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों में देरी कर सकते हैं, उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं।
- चूँकि राज्यपाल केंद्र के नियुक्त व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाया गया "सीमित निर्देश" लोकतांत्रिक सिद्धांतों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता।

2. संघवाद बनाम केंद्रीकरण

- संघवाद भारत की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा है।
- यह निर्णय राज्यों को कागज़ों में केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का जोखिम पैदा करता है।

- केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का असमान वितरण संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) को कमजोर कर सकता है।

3. न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सुरक्षा

- न्यायिक समीक्षा संविधान का अभिन्न अंग है।
- राज्यपाल और राष्ट्रपति न्यायिक जाँच से बाहर नहीं हो सकते।
- इससे अनिर्वाचित अधिकारियों को मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे अनुच्छेद 14 और संवैधानिक लोकाचार का उल्लंघन हो सकता है।

IAS-PCS Institute

4. राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अतिरेक

- विपक्षी राज्य सरकारों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों (सीबीआई, ईडी, आयकर) का कथित दुरुपयोग।
- राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धन का पक्षपातपूर्ण उपयोग।
- केंद्रीय योजनाओं में जबरन शर्तें, जो राज्यों पर वित्तीय निर्भरता बढ़ाती हैं।

व्यापक निहितार्थ

लोकतांत्रिक जनादेश का क्षरण

- राज्य स्वायत्तता सीधे जनता की इच्छा से जुड़ी है।
- अनिर्वाचित प्राधिकरणों द्वारा विधानमंडलों को अतिअधिकार देना लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा है।

संघवाद का कमजोर होना

- केंद्रीकरण से राज्यों की प्रशासनिक स्वतंत्रता घटती है।
- संघवाद भारत के बहुलवादी लोकतंत्र के लिए सुरक्षा कवच है।

9235313184, 9235440806

शासन और प्रशासनिक दक्षता

- विलंबित सहमति और मुकदमेबाजी-भारी प्रक्रियाएँ राज्य के शासन को प्रभावित कर सकती हैं।
- अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण नवाचार, जवाबदेही और सुशासन को दबा सकता है।

आगे की राह

- **राज्यपाल निर्णयों के लिए समय सीमा:** अनुच्छेद 200 की व्याख्या में मनमानी देरी रोकने के लिए उचित समय सीमा शामिल की जाए।
- **न्यायिक निरीक्षण:** सभी विवेकाधीन शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा के अधीन रहें।
- **संघवाद को मजबूत करना:** नीतियों में राज्यों की वित्तीय और विधायी स्वायत्तता का सम्मान हो।
- **राजनीतिक दुरुपयोग पर अंकुश:** जांच एजेंसियों और केंद्रीय धन का पक्षपातपूर्ण प्रयोग नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ने संघवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। संवैधानिक प्रावधान कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करते हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित नहीं कर सकते या संघवाद को कमजोर नहीं कर सकते। भारत के बहुलवादी लोकतंत्र की रक्षा के लिए राज्य स्वायत्तता और संघीय संतुलन का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

UPSC प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: 16वें राष्ट्रपति संदर्भ और राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
2. राज्यपालों की नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है।
3. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्रवाइयों पर लागू होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन-कौन केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) को कमजोर करने के उदाहरण हैं?

1. उत्पादक राज्यों को GST मुआवजा (compensation) देने से इनकार करना।
2. केंद्र द्वारा एकत्र किए गए उपकर (Cess) को राज्यों के साथ साझा न करना।
3. केंद्रीय योजनाओं में राज्यों से बजट का 50% तक सह-फंडिंग की आवश्यकता।
4. वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) 1, 2 और 3
(c) 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न 3: राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा में सीधे तौर पर कौन से अनुच्छेद/सिद्धांत लागू होते हैं?

(a) अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 14
(b) मूल अधिकार (Fundamental Rights, भाग III)
(c) न्यायिक समीक्षा / मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)
(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

UPSC मेन्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "सुप्रीम कोर्ट की राय 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर भारत में संघवाद को कमजोर करने की संभावना रखती है।"

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों, न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। (10 अंक)

IAS-PCS Institute

Result Mitra

रिजल्ट का साथी

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806